उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

6/9/25	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से तैयार करा कर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–मनोज . आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र 131 / 2023

अनवान प्रकरण

1–चान्दी पत्नि गोपी गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल ——प्रार्थीया

बनाम

1–नन्दलाल पिता सूरजमल दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
2–शंकरलाल पिता सूरजमल दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
3–कैलाश पिता सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
4–गणपतलाल पिता सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
5–छाउदेवी पत्नि सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
6–राधाकृष्ण पिता सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
7–रामेश्वरलाल पिता सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
8–शम्भूलाल पिता सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
9–सजनी पुत्री सीताराम दरोगा निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
10–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थना पत्र बावत– रास्ता कायमी हेतु अन्तर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधिनियम)

———0———

उपस्थित:– वकील प्रार्थीया – श्री सूरज सनाढ्य
वकील अप्रार्थीगण– श्री श्यामलाल रेगर

———0———

आदेश

दिनांक 06.09.2024

प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि प्रार्थी के स्वामित्व की ग्राम सौदानपुरा पटवार हल्का हिसनिया तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 355 रकबा 2.1499 हैक्टर अन्य आराजीयात के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 29 में दर्ज है। जिसमें बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रास्ता ग्राम सौदानपुरा की आ0नं0 372 गेमु0 रास्ता से होते हुये आ0नं0 407 / 357 रकबा 0.8979 हैक्टर की मेड़ से होते हुये आराजी संख्या 257 रकबा 0. 9232 हैक्टर की मेड़ से होकर अपनी आराजीयात में आते जाते हैं । आ0नं0 407 / 357 रकवा 0.8979 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज है तथा आ0नं0 357 रकवा 0.9232 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 9 क नाम खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त आराजीयात में से प्रार्थीया को 20 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है जो अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीया के खेतों पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है इसलिये हम प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थीया की खातेदारी की आ0नं0 355 में आवागमन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 की आराजी नम्बर 407/357 व 357 में से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 20 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप में अलग से खाते में कायम करने व नक्शे में तरमीम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु यह प्रार्थनापत्र 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें । इस हेतु प्रार्थीया सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

2–यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.06.2023 को दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 08.08.2023 के जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता हाजिर आए जिन्होंने तहसीलदार साहब से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। इस पर तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

3–यह कि रास्ते बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस परं तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2024/1342 दिनांक 01.07.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सौदानपुरा की आ0नं0 355 रकबा 2.1499 हैक्टर भूमि वर्तमान में प्रार्थीया चांदी पत्नि गोपी गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें पहुंच हेतु रास्ता बना हुआ नहीं है। मौके पर रास्ता वन्द नहीं होकर चालू है। वर्तमान में प्रार्थीया आराजी नम्बर 407/357 एवं 357 से होकर आ–जा रहे हैं। मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते का अभाव है।

4–यह कि प्रार्थीया की आराजी नम्बर 355 पर पहुंच हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 407/357 रकबा 0.8979 हैक्टर में से 0.0038 है0, आ0नं0 357 रकबा 0.9232 है0 में से 0.0454 है0, आ0नं0 423/357 रकबा 0.3920 है0 में से 0.0176 है0, आ0नं0 358 रकबा 0.2909 है0 में से 0.0290 है0, एवं आ0नं0 359 रकबा 0.4932 है0 में से 0.0441 है0 कुल कीता 5 कुल रकबा 0.1399 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लालस्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने में अप्रार्थीगण सहमत है। रिपोर्ट के साथ संलग्न टीआरए रिपोर्ट अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा की कुल 116591.00 रूपये अंकित है। जो कि डीएलसी 416693/–रू0 प्रति हैक्टर से 0.1399 हैक्टर की दुगुनी राशि है।

5–तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा निवेदन किया तहसीलदार माण्डल के द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता कीमतन स्वीकृत किए जाने पर सहमति प्रदान की । आराजी नम्बर 423/357–358 व 359 के खातेदार भी अप्रार्थी संख्या 01 नन्दलाल ही है। जिसने पर्चामौका पटवारी हल्का हिसनिया दिनांक 19.06.2024 पर सहमति के हस्ताक्षर किए हैं। चूंकि दोनों पक्ष सहमत है तथा प्रार्थीया को अपनी जोत पर पहुंच हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं रास्ते हेतु प्रस्तावित रकवे की कीमत अदा करने को तैयार होने से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव–

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए ग्राम सौदानपुरा पटवारी हल्का हिसनिया भू अभिलेख निरीक्षक आलमास की आराजी नम्बर 355 रकबा 2.1499 हैक्टर पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 407/357 रकबा 0.8979 हैक्टर में से 0.0038 है0, आ0नं0 357 रकबा 0.9232 है0 में से 0.0454 है0, आ0नं0 423/357 रकबा 0.3920 है0 में से 0.0176 है0, आ0नं0 358 रकबा 0.2909 है0 में से 0.0290 है0, एवं आ0नं0 359 रकबा 0.4932 है0 में से 0.0441 है0 कुल कीता 5 कुल रकबा 0.1399 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में इन्द्राज किया जावे। प्रार्थीया उक्त रास्ते की भूमि की राशि 116591.00 रू0 राजकोष में जमा करादेवे तभी यह आदेश प्रभावी होगा।

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा